रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 24, 2002/आश्विन 2, 1924

No. 193] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 24, 2002/ASVINA 2, 1924

भारतीय प्रेस परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2002

सं. 10/7/82-सचि. (प्रशा.) -खण्ड -VI.—प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 11 की उपधारा (2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 26 के खण्ड (ख) तथा परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रेस परिषद, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

भाग I—सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को भारतीय प्रेस परिषद् (कर्मचारियों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2002 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(I) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का अर्थ विनियम 4 के अंतर्गत नियुक्तियाँ करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है;

(ख) ''प्रतिनियुक्ति'' का अर्थ है या तो उन व्यक्तियों की अस्थायी ऋण पर परिषद् के सचिवालय में किसी पद पर नियुक्ति है जो सरकारी कार्यालयों में या उन निकायों में नियुक्त हों जो पूर्णत: अथवा मुख्यत: सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हैं चाहे वे निगमित हों या नहीं या फिर परिषद् द्वारा परिषद् के किसी कर्मचारी को सेवाओं का सरकार को या उन निकायों को अस्थायी ऋण है जो पूर्णत: अथवा मुख्यत: सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में हैं चाहे वे निगमित हों या नहीं;

(ग) ''कर्मचारी'' का अर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिषद् के किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति है।

(घ) ''पद'' का अर्थ वर्ग 'क', वर्ग 'ख', वर्ग 'ग' या वर्ग 'घ' के रूप में वर्गीकृत कोई भी पद है चाहे स्थायी या अस्थायी।

(ङ) ''अनुसूची'' का अर्थ इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची है।

(च) ''सचिव'' का अर्थ परिषद् का सचिव है।

(II) जिन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का प्रयोग इन विनियमों में किया गया है किंतु परिभाषा नहीं दी गई और प्रेस परिषद् नियम, 1979 में परिभाषा दी गई है उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें उन नियमों में दिया गया है।

भाग II—कर्मचारियों की संख्या, नियुक्ति और सेवा की शर्तें

3. परिषद् के कर्मचारी वर्ग की संख्या तथा गठन.—(1) परिषद् में पदों की संख्या और उन पदों के वेतनमान वही होंगे जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

(2) परिषद् समय-समय पर अनुसूची में वैसे संशोधन कर सकती है जो वह आवश्यक समझे :

बशर्ते कि परिलब्धियों की संरचना से संबंधित सभी प्रस्ताव जिसमें वेतनमानों, भत्तों को अपनाना तथा वेतनमानों, भत्तों का संशोधन और उन पदों का सृजन शामिल है जिनके वेतनमान का अधिकतम 15,200 रु. प्रतिमाह से अधिक हो, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से बनाए जाऐंगे :

बशर्ते यह भी कि वेतनमानों में प्रस्तावित परिवर्तन से उन पदों पर काम कर रहे किसी कर्मचारी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) परिषद् अनुरूप बचत करके, मूलत: वेतन से बचत द्वारा, अन्य पदों का सृजन कर सकती है किन्तु यदि पद की आवश्यकता बहुत अधिक हो तो परिषद् के बजट में किसी भी शीर्ष से बचत की जा सकती है।

(4) परिषद् द्वारा ऐसे पद के सृजन के लिए शक्तियां सामान्य वित्तीय नियम, 1963, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 तथा वित्त और कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा इस विषय पर समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों के अधीन होंगी और उन्हीं के अनुसार प्रयोग की जाएंगी।

4. प्रेस परिषद् विनियम, 1979 के नियम 5 और 8 के अधीन.—परिषद् के कर्मचारियों के लिए ''नियुक्ति प्राधिकारी'' होगा :

(i) वर्ग 'क' के पदों के मामलों में परिषद्।

(ii) वर्ग 'ख' के पदों के मामले में अध्यक्ष।

(iii) वर्ग 'ग' तथा वर्ग 'घ' के पदों के मामले में सचिव।

5. भर्ती के नियम.—परिषद् में हर पद के लिए परिषद् द्वारा भर्ती के नियम बना लिए जाएँ जिनमें पद भरने की विधि, आयु सीमा तथा योग्याताओं आदि का भी उल्लेख हो।

6. चिकित्सा प्रमाणपत्र.—परिषद् के स्टाफ के किसी पद पर किसी व्यक्ति को सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह परिषद् द्वारा निर्धारित चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित न कर दिया जाए :

बशर्ते कि इस नियम की कोई भी बात प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा परिषद् के स्टाफ के किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति पर लागू नहीं होगी।

7. वरिष्ठता.—परिषद् के कर्मचारियों की वरिष्ठता केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार तय की जाएगी।

8. मूल रूप मे नियुक्ति.—किसी कर्मचारी को किसी पद पर मूल रूप में तभी नियुक्त किया जाएगा जब उसे नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाए और अन्य कोई कर्मचारी उस पद पर मूल रूप से नियुक्त न हो और न ही किसी का लियन हो।

भाग III—अधिवर्षिता, अशक्त घोषित करना और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

9. (I) अधिवर्षिता और अशक्त घोषित करना.—(1) हर कर्मचारी उस माह की अंतिम तिथि के अपराह्न में सेवा से निवृत्त हो जाएगा जिस माह में उसकी आयु पूरे साठ वर्ष हो जाए। बशर्ते कि जिस व्यक्ति का जन्म किसी माह की पहली तारीख को हुआ हो वह उससे पहले माह की अंतिम दिन सेवा निवृत्त होगा।

(2) इस उप-नियम में कुछ भी होते हुए :

(1) (क) यदि परिषद् द्वारा निर्धारित चिकित्सा बोर्ड द्वारा किसी कर्मचारी को अशक्त घोषित कर दिया जाए तो केंद्रीय सरकार के तत्संबंधी नियमों के अनुसार तय की गई पूर्ण तथा स्थायी अशक्तता के कारण वह सेवा में नहीं रहेगा।

(ख) यदि परिषद् की राय में परिषद् के हित में ऐसा करना अपेक्षित हो तो उसे पूर्ण अधिकार होगा कि किसी कर्मचारी को कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देकर या उस नोटिस के एवज़ में तीन माह का वेतन भत्ते देकर उसे सेवानिवृत्त का दें:

(i) यदि वह वर्ग 'क' या वर्ग 'ख' की सेवा या पद में मूल अथवा अस्थायी रूप में हो, या वर्ग 'ग' के पद अथवा सेवा में हो और 35 वर्ष की आयु का होने से पहले परिषद् की सेवा में आया हो तो उसके 50 वर्ष की आयु का हो जाने के बाद,

(ii) किसी अन्य मामले में उसके 55 वर्ष की आयु का हो जाने के बाद।

(ग) कोई भी कर्मचारी, यदि वह वर्ग 'क' या वर्ग 'ख' के पद पर है (और 35 वर्ष की आयु का होने से पहले परिषद् की सेवा में आया था) तो पचास वर्ष की आयु का होने के बाद और अन्य सभी मामलों में पचपन वर्ष की आयु का होने के बाद, नियुक्ति प्राधिकारी को कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देकर सेवा निवृत्त हो सकता है:

बशर्ते कि नियुक्ति प्राधिकारी चाहे तो इस खंड के अंतर्गत सेवानिवृत्ति मांगने वाले किसी कर्मचारी की अनुमति को रोक सकता है यदि वह निलंबित हो या यदि उसके विरुद्ध बड़ा दण्ड देने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही चल रही हो अथवा प्रस्तावित हो।

(घ) खंड (ख) में कुछ भी होते हुए, यदि परिषद् की राय में परिषद् के हित में ऐसा करना अपेक्षित हो तो उस पूर्ण अधिकार होगा कि किसी कर्मचारी को उसके तीस वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देकर या उस नोटिस के एवज में तीन माह का वेतन तथा भत्ते देकर उसे सेवानिवृत कर दे: और

(II) **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति :—**

(1) कर्मचारियों को विकल्प होगा कि 20 वर्ष की अर्हक/सतत् सेवा पूरी करने पर तीन माह का नोटिस देकर स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो जाएं।

सेवानिवृत्ति नोटिस-अवधि की समाप्ति पर प्रभावी होगी, यदि उस अवधि के समाप्त होने से पहले ही नियुक्ति प्राधिकारी सेवानिवृत्ति की अनुमति देने से इनकार न कर दे।

(2) कर्मचारी की अर्हक सेवा में पाँच वर्ष तक की भारिता जोड़ी जाएगी बशर्ते की :—

(क) भारिता को मिला कर कुल अर्हक सेवा तैंतीस वर्ष से अधिक न हो:

(ख) अवधि सामान्य अर्धवर्षिता की तिथि से बाद तक न जाती हो ; और

(ग) भारिता का प्रयोग केवल पेन्शन/उपदान के लिए अर्हक सेवा की गणना के उद्देश्य के लिए किया जाए और कोई अन्य लाभ देने के लिए नहीं यथा वेतन में काल्पनिक वृद्धि आदि।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति से नोटिस वापस लिया जा सकता है यदि अनुरोध सेवानिवृत्ति की उद्दिष्ट तिथि के भीतर कर दिया जाए।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेक से तीन माह से कम अवधि का नोटिस स्वीकार कर सकता है:

बशर्ते कि नियुक्ति प्राधिकारी चाहे तो इस खंड के अंतर्गत सेवानिवृत्ति माँगने वाले किसी कर्मचारी की अनुमति को रोक सकता है यदि वह निलंबित हो या यदि उसके विरुद्ध बड़ा दंड देने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही चल रही हो या प्रस्तावित हो।

10. **त्याग पत्र :-**

(1) कोई कर्मचारी जो निलंबित न हो या जिसके विरुद्ध बड़ा दंड के देने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही न चल रही हो, नियुक्ति प्राधिकारी को संबोधित कम से कम एक माह का लिखित नोटिस देकर परिषद् की सेवा से त्याग पत्र दे सकता है :

बशर्ते कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे तो नोटिस की अवधि एक माह से कम होने पर भी किसी कर्मचारी को परिषद् की सेवा से त्याग पत्र देने की अनुमति दे सकता है।

(2) त्याग पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

भाग IV—भत्ते तथा अन्य सुविधाएं

11. भत्ते :—

(1) परिषद् के कर्मचारियों को निम्नलिखित भत्ते देय होंगे, अर्थात् :—

(क) महंगाई भत्ता,

(ख) नगर भत्ता,

(ग) मकान किराया भत्ता,

(घ) परिवहन भत्ता।

(2) उप-विनियम (1) में उल्लिखित भत्ते उन दरों पर और उन शर्तों के अधीन निकाले जाएंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-यमय पर अपने कर्मचारियों के लिए निर्धारित की जाएं :

बशर्ते कि परिषद् के कर्मचारियों की परिलब्धियों का स्वरूप (वेतन और सेवा की शर्तों से संबंधित) वही होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर सांविधिक स्वायत्त संगठनों पर लागू करने के लिए बनाया जाए।

12. चिकित्सा सुविधाएँ :—परिषद् के कर्मचारी और उनके परिवार केन्द्रीय सेवाएँ (चिकित्सा) नियमावली, 1944 द्वारा, आवश्यक परिवर्तनों सहित, नियंत्रित होंगे।

13. परिषद् के कर्मचारियों के लिए अंशदायी भविष्य निधि सुविधाएँ :—परिषद् के कर्मचारी, प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को छोड़ कर, वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार, परिषद् में नियुक्ति की तिथि से अंशदायी भविष्य निधि में हिस्सा लेने के हकदार होंगे।

14. सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान :—

(i) दस वर्ष की अर्हत सेवा पूरी करने से पहले सेवानिवृत होने वाला परिषद् का हर स्थायी कर्मचारी अर्हक सेवा की हर छः माह की पूरी अवधि के लिए आधे महीने की परिलब्धियों की दर से एकमुश्त भुगतान का हकदार होगा जिसे सेवा उपदान कहते हैं। परिलब्धियों का अर्थ है मूल वेतन और रुद्धता वेतनवृद्धियाँ, यदि कोई हों। यह उपदान सेवानिवृत्ति उपदान के अतिरिक्त होगा तथापि, यह इस विषय पर नियमों के अनुसार, यथा समय-समय पर संशोधित, लागू होगा।

(ii) परिषद् का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पर अर्हक सेवा की ही छः माह की पूरी अवधि के लिए अपनी परिलब्धियों के एक चौथाई के बराबर सेवानिवृत्ति उपदान पाने का हकदार होगा। किंतु उसकी अधिकतम राशि परिलब्धियों के साढ़े सोलह गुणा के बराबर या 3.50 लाख रु. जो भी कम हो, होगी।

iii) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाए तो उसके परिवार को मृत्यु-उपदान का भुगतान केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 50 तथा 51 में निर्दिष्ट विधि से किया जाएगा।

15. केन्द्रीय/राज्य सरकार कर्मचारियों का प्रेस परिषद् के सचिवालय में स्थायी विलयन:—केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी कर्मचारी का परिषद् के सचिवालय में विलयन हो जाने पर वह पेंन्शन और पेंन्शनर कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4(12)/85-पी एण्ड पीडब्लू दिनांक 31 मार्च 1987 के प्रावधानों के अनुसार, यथा समय-समय पर संशोधित, लाभों के लिए पात्र होगा।

भाग-V-सेवा की सामान्य शर्तें

16. सेवा की शर्तें :—(1) कर्मचारी परिषद् का पूर्णकालिक कर्मचारी होगा और परिषद् उसे ऐसे कर्तव्य निष्पादित करने के लिए कह सकती है जो उसे सौंपे जाएँ।

(2) उप-विनियम (1) में निहित प्रावधान की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना :

(i) किसी कर्मचारी को भारत में या भारत के बाहर अध्ययन या शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम करने के लिए कहा जा सकता है,

(ii) किसी कर्मचारी को भारत में किसी भी स्थान पर परिषद् की सेवा करने के लिए कहा जा सकता है,

(iii) किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए कहा जाता है चाहे भारत में या भारत से बाहर।

भाग-VI-आचरण, नियंत्रण तथा अनुशासन

17. आचरण :—कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 द्वारा, आवश्यक परिवर्तनों सहित, नियंत्रित होंगे।

18. नियंत्रण तथा अनुशासन :—कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 द्वारा, आवश्यक परिवर्तन सहित, नियंत्रित होंगे।

भाग-VII-विविध

19. अवकाश :—परिषद् वही अवकाश मनाएगी जो दिल्ली और नई दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा मनाए जाते हैं।

20. सेवा पुस्तिकाएँ तथा चरित्र पंजियाँ :—हर कर्मचारी के बारे में एक सेवा पुस्तिका तथा चरित्र पंजियाँ उस रूप में और विधि से रखी जाएँगी जो परिषद् निर्धारित करे।

21. सेवा की शर्तें :—(1) सेवा की शर्तों से संबंधित ऐसे सभी मामलों के बारे में जिनके लिए इन नियमों में प्रावधान नहीं किया गया या अपर्याप्त प्रावधान किया गया है, केन्द्रीय सरकार में तदनुरूप पदों को धारण करने वाले कर्मचारियों पर लागू और संप्रति प्रवृत्त नियम तथा आदेश, आवश्यक परिवर्तनों सहित, परिषद् के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को नियंत्रित करेंगे यथा मूल नियमावली, अनुपूरक नियमावली, केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी) सेवा नियमावली, 1965, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 और यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, स्थानांतरण पर यात्रा के लिए भत्ता तथा छुट्टी यात्रा सुविधा से संबंधित आदेश।

(2) परिषद् के कर्मचारियों के वेतनमान वही होंगे जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सांविधिक स्वायत्त संगठनों में लागू करने के लिए बनाए जाएँ।

22. वर्तमान कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान :—इन विनियमों के प्रारंभ होने के समय ऐसे हर व्यक्ति को इन विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त माना जाएगा जो अनुसूची में उल्लिखित किसी पद पर परिषद् में नियमित आधार पर काम कर रहा हो।

23. शिथिल करने की शक्ति:—जब परिषद् की राय में ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह, कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करके और सरकार के पूर्व अनुमोदन से, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या कोटि के बारे में इन विनियमों के किसी प्रावधान को शिथिल कर सकती है।

24. बचाव:—इन विनियमों में कुछ भी उन आरक्षणों, आयु सीमा में छुटों तथा अन्य सुविधाओं को दुष्प्रभावित नहीं करेगा जो इस बारे में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी ओदशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गों तथा लोगों की अन्य विशेष कोटियों को उपलब्ध कराई जानी हैं।

25. व्याख्या:—यदि इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में कोई कठिनाई पैदा हो तो वह परिषद् को भेजी जाएगी और परिषद् उसका निर्णय सरकार के परामर्श से करेगी।

अनुसूची

क्र. सं.	पदों का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	सचिव	एक	रु. 18,400-500-22,400
2.	उप सचिव	एक	रु. 12,000-375-16,500
3.	अवर सचिव	दो	रु. 10,000-325-15,200
4.	विधि अधिकारी	एक	रु. 10,000-325-15,200
5.	अध्यक्ष के विशेष सहायक	दो	रु. 10,000-325-15,200
6.	पुस्तकालय तथा सूचना अधिकारी	एक	रु. 10,000-325-15,200
7.	अनुभाग अधिकारी	सात	रु. 6500-200-10,500
8.	सहायक निदेशक (राजभाषा)	एक	रु. 6500-200-10,500
9.	सहायक संपादक	एक	रु. 6500-200-10,500
10.	निजी सचिव	दो	रु. 6500-200-10,500
11.	लेखाकार	एक	रु. 5500-175-9000
12.	सहायक	बारह	रु. 5500-175-9000
13.	आशुलिपिक वर्ग 'ग'	तीन	रु. 5500-175-9000
14.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	एक	रु. 5000-150-8000
15.	यू.डी.सी.	चार	रु. 4000-100-6000
16.	आशुलिपिक वर्ग 'घ'	तीन	रु. 4000-100-6000
17.	एल.डी.सी.	बारह	रु. 3050-75-3950-80-4590
18.	स्टाफ कार ड्राईवर	दो	रु. 3050-75-3950-80-4590
19.	वरिष्ठ गेस्टेटनर ऑपरेटर	एक	रु. 3050-75-3950-80-4590
20.	कनिष्ठ गेस्टेटनर ऑपरेटर	एक	रु. 2750-70-3800-75-4400
21.	रिकार्ड कीपर	एक	रु. 2750-70-3800-75-4400
22.	वरिष्ट चपरासी	दो	रु. 2610-60-3150-65-3540
23.	दफ्तरी	एक	रु. 2610-60-3150-65-3540
24.	चपरासी	सोलह	रु. 2550-55-2600-60-3200
25.	चौकीदार	छः	रु. 2550-55-2600-60-3200
26.	फ़राश	दो	रु. 2550-55-2600-60-3200
27.	सफ़ाईवाला	एक	रु. 2550-55-2600-60-3200
	योग	88	

रेवा खेत्रपाल, सचिव

[सं. विज्ञापन-III/IV/असाधारण/149/02]

IndiaCode

PRESS COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2002

No. 10/7/82-Sectt. (Admn.) Vol. VI.—In exercise of the powers conferred by clause (b) and proviso to Section 26 read with sub-section (2) of Section 11 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), the Press Council of India, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

PART- I ------ GENERAL

1. Short title and commencement: –

(1) These regulations may be called the Press Council of India (Terms and Conditions of Service of the Employees) Regulations, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:

IndiaCode

2. Definitions: -

(I) In these regulations, unless the context otherwise requires: -

(a) "appointing authority" means the authority competent to make appointments under regulation 4;
(b) "deputation" means either the appointment to a post in the Secretariat of the Council, on temporary loan of persons employed in Government offices or bodies whether incorporated or not, wholly or substantially owned or controlled by Government or the temporary loan by the Council of the services of a Council's employee to Government or bodies whether incorporated or not, wholly or substantially owned or controlled by Government;
(c) "employee" means any person appointed to or borne on the strength of the Council specified in the Schedule;
(d) "post" means any post, whether permanent or temporary classified as Group 'A', Group 'B', Group 'C' or Group 'D';
(e) "Schedule" means the Schedule annexed to these regulations;
(f) "Secretary" means the Secretary of the Council.

(II) The words and expressions used but not defined in these regulations and defined in the Press Council Rules 1979 shall have the meaning assigned to them in that rule.

PART – II - STRENGTH, APPOINTMENT AND CONDITIONS OF SERVICE

3. STRENGTH AND COMPOSITION OF THE STAFF OF THE COUNCIL: -

(1) The strength of the posts under the Council and scales of pay attached to the posts shall be as specified in the Schedule.

(2) The Council may make such amendments in the Schedule from time to time, as it thinks necessary:

Provided that all proposals relating to emolument structure, including adoption of pay scales, allowances, and revision of pay scales, allowances and revision thereof, and creation of posts where the maximum of a pay scale exceeds Rs.15,200/- per month, shall be made with the prior approval of the Central Government:

Provided further that the proposed alterations in the scales of pay shall not adversely affect the interest of any employee working against such posts.

(3) The Council may create other posts by effecting matching savings primarily from savings from salaries, but if the requirement of the post is extremely urgent, then from any head in the Budget of the Council.

(4) The powers to create such post by the Council shall be subject to and be exercised in accordance with the General Financial Rules, 1963, Delegation of Financial Power Rules, 1978 and extant orders/instructions of Ministry of Finance and Company Affairs issued from time to time on the subject.

4. SUBJECT TO RULES 5 AND 8 OF THE PRESS COUNCIL RULES, 1979: -

"appointing authority" in relation to Council's employees shall be:

(i) Council in the case of a post in Group 'A';
(ii) Chairman in the case of a post in Group 'B';
(iii) Secretary in the case of a post in Group 'C' and Group 'D'

5. RECRUITMENT RULES: -

Recruitment rules may be framed by the Council for each post under the Council indicating the method of filling a post, age limit, and qualifications, etc.

6. MEDICAL CERTIFICATE: -

No person shall be appointed to any post on the staff of the Council by direct recruitment unless declared medically fit by a medical board as prescribed by the Council.

Provided that nothing in this regulation shall apply to a person appointed to any post on the staff of the Council by transfer on deputation.

7. SENIORITY: -

The seniority of the Council's employees shall be determined in accordance with the rules as applicable to the Central Government employees.

8. SUBSTANTIVE APPOINTMENT: -

No employee shall be appointed substantively to any post unless he/she is found suitable for such substantive appointment, and no other employee has been substantively appointed to it or holds a lien on the post.

PART – III – SUPERANNUATION, INVALIDATION AND VOLUNTARY RETIREMENT

9. (I) Superannuation and invalidation:-

(1) Every employee shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age or sixty years. Provided that a person, whose date of birth is the 1st of a month, shall retire on the last day of the preceding month.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation:

(1) (a) An employee shall, on invalidation by a Medical Board, as prescribed by the Council, cease to be in service on account of complete and permanent incapacitation determined in accordance with the relevant rules of the Central Government.

(b) The Council shall, if it is of the opinion that the interest of the Council clearly so require, have the absolute right to retire an employee by giving him notice of not less than three months in writing or three months pay and allowances in lieu of such notice;

(i) if he/she is in Group 'A' or Group 'B' service or post in a substantive or temporary capacity, or in a Group 'C' post or service and had entered Council's service before attaining the age of 35 years, after he has attained the age of 50 years;

(ii) in any other case after he/she has attained the age of 55 years.

(c) An employee may, by giving notice of not less than three months in writing to the appointing authority, retire from service after he/she has attained the age of fifty years if he/she is holding a Group 'A' or Group 'B' post (and had entered the Council's service before attaining the age of 35 years), and in all other cases, after he/she has attained the age of fifty-five years;

Provided that it shall be open to the appointing authority to withhold permission to an employee who seeks to retire under this clause if he/she is under suspension or if a disciplinary proceeding for imposition of a major penalty is pending or contemplated against him/her.

(d) Notwithstanding anything contained in clause (b), the Council shall, if it is of the opinion that the interests of the Council clearly so require, have the absolute right to retire an employee after he/she has completed thirty years' service, by giving him notice of not less than three months in writing or three months pay and allowances in lieu of such notice; and

(II) VOLUNTARY RETIREMENT: -

(1) Employees will have the option to retire voluntarily on completion of 20 years' qualifying/continuous service by giving three months' notice.
Retirement will take effect on expiry of notice period, unless before expiry thereof, permission for retirement is refused by the appointing authority.

(2) Weightage of upto five years will be added to the qualifying service of the official provided that: -
 (a) the total qualifying service including the weightage does not exceed thirty-three years;
 (b) the period does not go beyond the date of normal superannuation; and
 (c) the weightage is used only for the purpose of reckoning qualifying service for pension/gratuity and does not confer any other benefit like notional increase in pay, etc.

(3) Notice can be withdrawn with the permission of the appointing authority if the request is made within the intended date of retirement.

(4) The appointing authority at its discretion can accept a notice of less than three months:
Provided that it shall be open to the appointing authority to withhold permission to an employee who seeks to retire under this clause, if he/she is under suspension or if a disciplinary proceeding for imposition of a major penalty is pending or contemplated against him/her.

2975 GI/02-2

10. RESIGNATION: -

(1) An employee who is not under suspension or against whom a disciplinary proceeding for imposition of a major penalty is not pending may, by notice of not less than one month in writing addressed to the appointing authority, resign from the service of the Council:

Provided that the appointing authority may, if it deems proper, permit an employee to resign from the service of the Council even if the period of notice is less than one month.

(2) The resignation shall become effective from the date it is accepted by the appointing authority.

PART – IV – ALLOWANCES AND OTHER FACILITIES

11. ALLOWANCES: -

(1) The following allowances shall be admissible to an employee of the Council, namely: -

(a) dearness allowance;
(b) city compensatory allowance;
(c) house rent allowance; and
(d) transport allowance

(2) The allowances indicated in sub-regulation (1) shall be drawn at such rates and subject to such conditions as laid down by the Central Government for its employees from time to time.

Provided that the emolument structure of the employees of the Council (relating to pay and conditions of service) shall be as made applicable by the Central Government for statutory autonomous organisations from time to time.

12. MEDICAL FACILITIES: -

The employees of the Council and their families shall, mutatis mutandis, be governed by the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

13. CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND FACILITIES FOR COUNCIL EMPLOYEES: -

The employees of the Council, other than employees on deputation, shall be entitled to subscribe to the Contributory Provident Fund with effect from the date of appointment in the Council in accordance with the orders issued by the Ministry of Finance on the subject from time to time.

IndiaCode

14. RETIREMENT/DEATH GRATUITY: -

(i) Every permanent employee of the Council retiring before ten years qualifying service shall be entitled for a lump sum payment known as service gratuity at the rate of half month's emoluments for every completed six monthly period of qualifying service. The emoluments means basic pay plus stagnation increments, if any. This gratuity will be in addition to retirement gratuity. However, this will be applicable in accordance to the rules on the subject, and as amended from time to time.

(ii) An officer/employee of the Council shall, on his retirement, be granted retirement gratuity equal to one-fourth of his emoluments for each completed six monthly period of qualifying service, subject to a maximum of sixteen and half times the emoluments or Rs.3.50 lakhs whichever is less.

(iii) If an officer/employee dies while in service, the death-gratuity shall be paid to his family in the manner indicated in rules 50 and 51 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

15. PERMANENT ABSORPTION OF CENTRAL/STATE GOVERNMENT EMPLOYEES IN SECRETARIAT OF PRESS COUNCIL: -

A Central/State Government employee, on absorption in the Council Secretariat shall be eligible for benefits in accordance, with the provisions of the Department of Pension and Pensioners' Welfare O.M. No.4 (12)/85-P&PW dated the 31st March, 1987, as amended from time to time.

PART – V – GENERAL CONDITIONS OF SERVICE

16. CONDITIONS OF SERVICE: -

(1) An employee shall be whole time employee of the Council and he/she may be employed by the Council for the performance of such duties as may be assigned to him/her.

(2) Without prejudice to the generality of the provision contained in sub-regulation (1),

(i) an employee may be required to undergo a course of study or instruction within or outside India;

(ii) an employee may be required to serve the Council at any place in India;

(iii) an employee may be required to proceed on deputation whether within or outside India.

3873 S/102-3

PART – VI – CONDUCT, CONTROL AND DISCIPLINE

17. CONDUCT: -

The employees shall, mutatis mutandis, be governed by the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964.

18. CONTROL AND DISCIPLINE: -

The employees shall, mutatis mutandis, be governed by the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.

PART – VII – MISCELLANEOUS

19. HOLIDAYS:

The Council shall observe such holidays as are observed by the Central Government offices located in Delhi and New Delhi.

20. SERVICE BOOKS AND CHARACTER ROLLS: -

A service book and character rolls shall be maintained in respect of each employee in such form and manner as may be prescribed by the Council.

21. CONDITIONS OF SERVICE: -

(1) In respect of all such matters regarding the conditions of service for which no provision or inadequate provision has been made in these regulations, the rules and orders for the time being in force and applicable to employees holding corresponding posts in the Central Government such as, the Fundamental Rules, Supplementary Rules, Central Civil Services (Temporary Service) Rules 1965, Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, and orders relating to travelling allowances, daily allowance, allowance for journey or transfer and leave travel concession shall, mutatis mutandis, regulate the conditions of service of the Council's employees.

(2) The pay scales of the employees of the Council shall be as made applicable by the Central Government for statutory autonomous organisations from time to time.

22. SPECIAL PROVISION FOR EXISTING EMPLOYEES: -

Every person holding on a regular basis a post under the Council mentioned in the Schedule shall, at the commencement of these regulations, be deemed to have been appointed under the provisions of these regulations.

23. **POWER TO RELAX: -**

Where the Council is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and with the prior approval of Government, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

24. **SAVING: -**

Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward class and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

25. **INTERPRETATION: -**

If any difficulty arises regarding the interpretation of these regulations, the same shall be referred to the Council and Council shall decide the same in consultation with the Central Government.

IndiaCode

SCHEDULE

Sl.No.	DESIGNATION OF POSTS	No. OF POSTS	SCALE OF PAY
1.	Secretary	One	Rs.18,400-500-22,400
2.	Deputy Secretary	One	Rs.12,000-375-16,500
3.	Under Secretary	Two	Rs.10,000-325-15,200
4.	Law Officer	One	Rs.10,000-325-15,200
5.	Special Assistant to Chairman	Two	Rs.10,000-325-15,200
6.	Library and Information Officer	One	Rs.10,000-325-15,200
7.	Section Officer	Seven	Rs.6500-200-10,500
8.	Assistant Director (OL)	One	Rs.6500-200-10,500
9.	Assistant Editor	One	Rs.6500-200-10,500
10.	Private Secretary	Two	Rs.6500-200-10,500
11.	Accountant	One	Rs.5500-175-9000
12.	Assistant	Twelve	Rs.5500-175-9000
13.	Stenographer Grade 'C'	Three	Rs.5500-175-9000
14.	Junior Hindi Translator	One	Rs.5000-150-8000
15.	UDC	Four	Rs.4000-100-6000
16.	Stenographer Grade 'D'	Three	Rs.4000-100-6000
17.	LDC	Twelve	Rs.3050-75-3950-80-4590
18.	Staff Car Driver	Two	Rs.3050-75-3950-80-4590
19.	Sr. Gestetner Operator	One	Rs.3050-75-3950-80-4590
20.	Jr. Gestetner Operator	One	Rs.2750-70-3800-75-4400
21.	Record Keeper	One	Rs.2750-70-3800-75-4400
22.	Senior Peon	Two	Rs.2610-60-3150-65-3540
23.	Daftry	One	Rs.2610-60-3150-65-3540
24.	Peon	Sixteen	Rs.2550-55-2600-60-3200
25.	Chowkidar	Six	Rs.2550-55-2600-60-3200
26.	Farash	Two	Rs.2550-55-2600-60-3200
27.	Safaiwala	One	Rs.2550-55-2600-60-3200
	Total	88	

REVA KHETRAPAL, Secy.

[No. ADVT-III/IV/Extraordinary/149/02]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 19, 2003/ज्येष्ठ 29, 1925
No. 96] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 19, 2003/JYAISTHA 29, 1925

भारतीय प्रेस परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2003

सं. 10/7/82-सचि. (प्र)-जि. VI.—भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 11 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 26 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, भारतीय प्रेस परिषद (कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रेस परिषद (कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन तथा शर्तें) संशोधन विनियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. (1) भारतीय प्रेस परिषद् (कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2002 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) विनियम 9 के उप विनियम (1) के खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) प्रत्येक कर्मचारी उस मास की अन्तिम तारीख के अपराह्न को जिसको वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है, सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी जन्म की तारीख, मास की पहली तारीख है, वह गत मास के अन्तिम दिन को सेवानिवृत्त होगा;"

(2) उक्त विनियमों में, विनियम 3 के उप विनियम (1) की अनुसूची में, प्रविष्टि 24, 25, 26 और 27 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

क्रम सं.	पद का पदनाम	पदों की सं.	वेतनमान
"24	चपरासी	सोलह	2550-55-2660-60-3200 रुपए
25	चौकीदार	छः	2550-55-2660-60-3200 रुपए
26	फराश	दो	2550-55-2660-60-3200 रुपए
27	सफाईवाला	एक	2550-55-2660-60-3200 रुपए

विभा भार्गव, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन III/IV/असाधा./149/2003]

पाद टिप्पण—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, सं. 193, तारीख 24 सितम्बर, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

PRESS COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi 17th June, 2003

No. 10/7/82-Sectt. (Admn.)- Vol.VI.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 26 read with Sub-section (2) of Section 11 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), the Press Council of India, with the prior approval of the Central Government makes the following regulations to amend the Press Council of India (Terms and Conditions of Service of Employees) Regulations, 2002, namely.—

1. (1) These regulations may be called the Press Council of India (Terms and Conditions of Service of the Employees) Amendment Regulations, 2003

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. (1) In the Press Council of India (Terms and Conditions of Service of the Employees) Regulations, 2002 (hereinafter referred to as the said regulations), for clause (1) of sub-regulation 1 of regulation 9, the following shall be substituted, namely:—

"(1) Every employee shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years:

Provided that a person, whose date of birth is the 1st of a month, shall retire on the last day of the preceding month."

(2) In the said regulations, in the Schedule to sub-regulation (1) of regulation 3, of entries 24, 25, 26 and 27 the following shall be substituted, namely:—

S.No.	Designation of Posts	No. of Posts	Scale of Pay
"24	Peon	Sixteen	Rs.2550-55-2660-60-3200
25	Chowkidar	Six	Rs.2550-55-2660-60-3200
26	Farash	Two	Rs.2550-55-2660-60-3200
27	Safaiwala	One	Rs.2550-55-2660-60-3200."

VIBHA BHARGAVA, Acting Secy.

[ADVT-III/IV/Exty./149/2003]

Foot Note : The principal Notification was issued vide Gazette of India Extraordinary No. 193 dated 24th September 2002.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.